

## विषय- शारीरिक शिक्षा (बी०ए०/बी०एस०सी० प्रथम वर्ष)

**यूनिट - II (iii) Topic : स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास (2<sup>nd</sup> Paper)**

Prepared By - Dr. SARITA YADAV, Associate Professor, Deptt. Of Physical Education,  
Arya Kanya Mahavidyalaya, Hardoi, UP

### **स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास**

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए, यद्यपि ये परिवर्तन पश्चिमी देशों के मुकाबले उतने उच्च स्तर के नहीं हैं परंतु फिर भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में शिक्षा को राज्यों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दिया गया किंतु इसकी दिशा निर्देश निश्चित करने का भार केन्द्र ने ही संभाला। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हुए। अनेक नए शारीरिक शिक्षा कॉलेज खुले गए तथा खेलों व स्वास्थ्य के विकास के लिए नवीन योजनाएं बनीं। स्वतंत्रता के पश्चात् शारीरिक शिक्षा व खेलों के विकास एवं उन्नति के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए -

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए शारीरिक शिक्षा की महत्ता को समझते हुए देश में शारीरिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य 1948 में **डॉ० ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया गया है यह समिति द्वारा देश में शारीरिक शिक्षा की स्थिति एवं स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

**वर्ष 1949** में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र से चयनित टीम ने स्वीडन के स्टाकहोम शहर में आयोजित दूसरे लिंगियाड में भारतीय व्यायाम संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी मंडल के सदस्यों ने 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में संपन्न 11 वें ओलंपिक खेलों में भी भारतीय व्यायाम संस्कृति की अभूतपूर्व प्रस्तुति की थी।

वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने एवं उनकी उन्नति के लिए सुझाव देने तथा राज्यों में खेल परिषदों के गठन हेतु 25 सदस्यीय **अखिल भारतीय खेल परिषद** का गठन किया। 1956 में इस परिषद ने अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की। इस परिषद में सरकार के द्वारा 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तथा प्रत्येक का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। परिषद की वर्ष में चार सभाएं किए जाने का प्रावधान है।

यह परिषद खेल संघो, एसोसिएशनों तथा सरकार के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। परिषद सरकार को खेलों के बार में उचित सलाह व दिशा निर्देश देकर खेलों के स्तर को ऊँचा उठाने में जुटी है।

वर्ष 1950 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा **शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन पार्क केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया।** इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को शारीरिक शिक्षा, खेलों, मनोरंजन तथा युवा वर्ग के लिए विषय कार्यक्रमों पर सुझाव देना रखा गया। बोर्ड का लक्ष्य शारीरिक शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाना, शारीरिक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाने में मदद करना, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की चयन प्रणाली तथा प्रशिक्षण के लिए योग्यताओं को निर्धारित करना आदि रखा गया। किंतु बोर्ड के पास इन सुझावों को अमल में लाने का अधिकार नहीं है, यह केवल सुझाव ही सरकार को दे सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। प्रत्येक राज्यों से एक एक सदस्य लिया जाता है, इसके अलावा सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञों को भी बोर्ड में नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। बोर्ड के सुझाव पर ही लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ग्वालियर की एक आदर्श शारीरिक शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापना की गई। 1966-67 में नेशनल फिटनेस कोर के प्रोग्राम को पूरे भारत के स्कूलों तथा फिजिकल कॉलेजों में लागू किया गया। नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसी बोर्ड की देन है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के खराब प्रदर्शन की जांच हेतु **1959 में तदर्थ जांच समिति** का गठन किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. श्रीमाली के सहयोग से इस कमेटी का गठन भारत में खेलों के गिरते हुए स्तर का अध्ययन करना तथा उसे ऊँचा उठाने के लिए सरकार को आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया। इस कमेटी ने सरकार को सारे भारतवर्ष में एक केन्द्रीय खेल संस्था का निर्माण कराने का सुझाव दिया जहाँ पर प्रत्येक खेल के अलग-अलग खेल विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके। 1961 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला इसी के सुझाव पर स्थापित किया गया एवं इसी संस्थान से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को कोचिंग के लिए रखा जाए। समिति ने खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कम अवधि व लम्बी अवधि की योजनाएं बनाने का भी सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, एक सदस्य एक से अधिक खेल संगठनों का सदस्य न बने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज, खेलों को आर्थिक सहायता देने एवं अच्छे आफिशियल भी उपलब्ध कराने के सुझाव सरकार को दिए।

तदर्थ जांच समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा **2 सदस्यीय कौल- कपूर समिति** का गठन

1960 में किया गया। इस समिति में भारत सरकार द्वारा एम.के.कौल तथा एम.एम.कपूर को खेल प्रेक्षक नियुक्त कर रोम ओलरम्पिक में भेजा गया। विभिन्न देशों का दौरा करने के पश्चात इस कमेटी ने 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसने स्कूलों में खेल मैदानों को नियमानुसार तैयार करने, प्रत्येक स्कूल कॉलेज में शारीरिक शिक्षा का विभाग बनाने, स्कूल कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियाँ देने आदि का सुझाव सरकार को दिए।

1960 में सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय शारीरिक निपुणता आंदोलन प्रारंभ किया गया और वर्तमान में भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसको नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को फिजिकल फिटनेस के प्रति जागृत तथा उत्साहित करना है। पुरुषों के लिए यह टेस्ट चार गुणों में तथा स्त्रियों के लिए तीन गुणों में विभाजित है।

1961 में सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को **अर्जुन पुरस्कार** दिया जाना प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1985 में खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को **द्रोणाचार्य पुरस्कार** देना प्रारंभ किया गया। वर्ष 1991- 92 में भारत सरकार द्वारा **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ताकि वह समाज में ज्यादा सम्मान प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत पिछले साल सबसे बेहतरीन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा डॉ० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में **कुंजरू समिति** का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1963 में प्रस्तुत की- जिसमें स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा के कुछ विशेष विषयों को अवश्य पढ़ाया जाने, छात्रों में सैर की रुचि विकसित करने, स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं व कलाओं को अलग अलग गुण बनाकर कराने, इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करने, स्कूल समय-समय पर संगीत आदि में भाग लेने, प्रातः सभा का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत से करने व विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने समेत अनेक सुझाव दिए गए। इस कमेटी के सुझाव पर ही पूरे भारतवर्ष में **राष्ट्रीय स्वस्थता कोर** कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा 1963 में **सीडी देशमुख समिति** का गठित किया गया। इस समिति को विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास की प्रक्रिया को जांचने का काम सौंपा

गया। इस समिति ने पूरे देश के खेल कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास पर और अधिक ध्यान दिए जाने की महत्ता पर बल दिया।

सरकार द्वारा 1965 में कोठारी समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में शारीरिक शिक्षा व खेलों का स्तर ऊँचा रखना तथा इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं से सरकार को परिचित कराना था। कोठारी समिति ने अपनी अनुशंसा में उल्लिखित किया है कि शारीरिक शिक्षा के संतोषजनक कार्यक्रम को केवल निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जा सकता है-

1- शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए निर्मित की जानी चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिभागियों की क्षमता एवं उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए,

2- शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में हमारे देश में विकसित खेल और शारीरिक गतिविधियों के परंपरागत रूपों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए,

3- प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत मूल्य एवं गर्व की भावना का विकास करने वाली शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,

4- लोकतांत्रिक सहयोग के वातावरण में उत्तरदायित्व वहन करने की भावना का विकास खेल के मैदान और जिम्नेशियम में प्राप्त अनुभवों के आधार पर होना चाहिए,

5- शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में पेश किए जाने चाहिए इन कार्यक्रमों में किसी अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का दोहराव नहीं होना चाहिए,

6- कार्यक्रम हमारी वित्तीय क्षमता के भीतर होने चाहिए,

7- कार्यक्रम कुछ चयनित व्यक्तियों की तुलना में सभी व्यक्तियों की पहुंच में होने चाहिए 8 विशेष योग्यता एवं प्रतिभा संपन्न छात्रों को विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

दो राष्ट्रीय खेल संस्थानों के रखरखाव एवं प्रशासन हेतु 1965 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संस्थानों की सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया गया। इस सोसाइटी के कार्य क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर थे। 1987 में यह सोसाइटी का विलय भारतीय खेल प्राधिकरण में कर दिया गया। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य खेल चेतना को प्रोत्साहित करना तथा उसके विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना था।

**एन.सी.ई.आर.टी.-एनसी.ई.आर.टी.** ने कक्षा एक से दस तक के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा ब स्पोर्ट्स का स्वरूप निश्चित किया है अर्थात शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपनाया है।

वर्ष 1970-71 में भारत सरकार ने **ग्रामीण खेल प्रतियोगिता योजना** प्रारंभ की। इस योजना को प्रारंभ करने के निर्णय दो प्रमुख उद्देश्य थे- ग्रामीण अंचल के नव युवकों को खेलों में प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रतिभावान व युवकों को खोज कर उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना। इसी वर्ष भारत सरकार ने **खेल प्रतिभा खोज योजना** प्रारंभ की खिलाड़ियों को इस योजना में भाग लेने पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष 1973 में **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** ने देश में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य देश के इच्छुक विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस सकारात्मक पहल के बाद देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अपने स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में शामिल कर अधिक संख्या में युवाओं को खेलों में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

वर्ष 1975 में भारत सरकार ने महिलाओं की खेल में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य **महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव** का प्रारंभ किया। इस समय यह एक महत्वपूर्ण खेल गतिविधि बन गई है। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण कराता है। महिला राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं पहले निचले स्तर पर होती हैं जिनका आयोजन खंड, जिला और राज्य स्तर पर राज्यों द्वारा किया जाता है इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार ने **भारतीय खेल प्राधिकरण** की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की। जिसका प्रारंभिक उद्देश्य 1982 में एशियाड के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलकूद की बुनियादी सुविधाओं के कारगर रखरखाव तथा उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना था। अब यह प्राधिकरण देश में खेलों के विस्तार तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बन गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र** तथा **विशेष क्षेत्रीय खेल** जैसी योजनाओं का संचालन करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण में विशेष प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों के लिए अपने सभी क्षेत्रीय केंद्रों बेंगलूर, गांधीनगर,

कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल और इंफाल तथा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा का विकास करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हेतु प्रोत्साहन देता है। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों को आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं एवं प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है।

**नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (राष्ट्रीय खेल संगठन)-** एन.एस.ओ का मुख्य मंतव्य विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिए छुट्टियों के दौरान भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना है। यह संगठन अच्छे खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति भी स्वीकृत करता है।

**भारतीय विश्वविद्यालय संघ-** इस एसोसिएशन का निर्माण विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने एवं अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है।

**वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति** प्रारंभ की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देना है। इसकी प्रमुख बिंदु निम्नवत् हैं-

1. खेलों का आधार व्यापक करना और उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना।
2. संरचनात्मक ढांचे का विकास एवं उच्चीकरण।
3. राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और दूसरी उपयुक्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।
4. खेलों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना।
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
6. महिलाओं पिछड़ी जनजातियों एवं ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना।
7. खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
8. जनता में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना।

**वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति** बनाई गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य पहले की खेल नीतियों में छूटे गए एजेंडे और 21 वीं शताब्दी में भारत के समक्ष उभरती हुई चुनौतियां

जिनमें न केवल विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरना बल्कि निकट भविष्य में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना भी शामिल है की ओर ध्यान आकर्षित करना था। वर्ष 2007 की इस नीति में व्यक्तित्व के विकास विशेषकर युवाओं के विकास, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और अच्छा रहन-सहन, शिक्षा, आर्थिक विकास और मनोरंजन के क्षेत्र में तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और बंधुत्व का संवर्धन और **"जो ओलंपिज्म की भावना है"** के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल के योगदान को पूरी तरह से स्वीकार किया गया